

प्रेषक,

एल.एन.पन्त,
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 14 अगस्त, 2013

विषय:- 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 की द्वितीय किश्त हेतु ग्राम पंचायतों को धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 की द्वितीय किश्त के लिए कुल धनराशि ₹195908000.00 (एक करोड़ उनसठ लाख आठ हजार मात्र) को संलग्नानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।

3- 13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:-

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) परिसम्पत्तियों का निर्माण (5) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4- जिला पंचायत राज अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके जनपद में ऐसे ग्राम पंचायतें जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से नव सृजित नगर पंचायतों में सम्मिलित हो गई है को धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी तथा उन पंचायतों की सूचना तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी।

5- ग्राम पंचायतों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

6- जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में पाँच दिन के अन्दर सम्बंधित ग्राम पंचायत को धनराशि चैक/ड्राफ्ट इलैक्ट्रानिक ट्रान्सफर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब होने पर देरी की अवधि का ब्याज सम्बन्धित निकाय द्वारा किया जायेगा इसके लिए सम्बन्धित जिला पंचायतीराज अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7- अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के सम्बंध में जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव,

2013
24/8/13
MAO

- पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 8- संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जायेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक उपलब्ध करायेंगे।
- 9- संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- 10- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी /मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।
- 11-संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थायें-198-ग्राम पंचायतें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(एल.एन. पन्त)

अपर सचिव, वित्त।

संख्या 587/XXVII (1)/2013, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 3-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
- 5-निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड-देहरादून।
- 6-निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्प्लेक्स नई दिल्ली।
- 7-समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 8-निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 9-वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 10-एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)

अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या: 547/XXVII (1)/2013

दिनांक: 14 अगस्त, 2013 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायतों को विकासखण्डवार 13वें वित्त आयोग से प्राप्त द्वितीय किशत की धनराशि का विवरण।


(धनराशि हजार ₹ में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	अवमुक्त की जा रही द्वितीय किशत की धनराशि
1	2	3	4
1-	अल्मोड़ा	स्याल्दे	1736
		ताकुलम	1505
		धौलादेवी	2099
		भैसियाछाना	901
		हवलबाग	2257
		लमगड़ा	1827
		द्वाराहाट	2168
		सल्ट	2263
		भिवियासैण	1410
		ताड़ीखेत	2303
		चौखुटियाँ	1814
		योग:-	20283
2-	बागेश्वर	कपकोट	2770
		गरुड़	1991
		बागेश्वर	3187
		योग:-	7948
3-	चमोली	कर्णप्रयाग	1489
		जोशीमठ	1172
		दशोली	1232
		घाट	1111
		पोखरी	1214
		गैरसैण	1923
		थराली	1071
		देवाल	952
		नारायणबगड़	1112
		योग:-	11276
4-	चम्पावत	लोहाघाट	1411
		बाराकोट	875
		पाटी	1635
		चम्पावत	2824
		योग:-	6745
5-	देहरादून	डोईवाला	4212
		रायपुर	2899
		सहसपुर	3391
		विकासनगर	3411

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि
1	2	3	4
		डीडीहाट	1286
		मुनस्यारी	1924
		बेरीनाग	1667
		योग:-	14258
10-	रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	3305
		जखोली	2117
		ऊखीमठ	1427
		योग	6849
11-	टिहरी	नरेन्द्रनगर	2325
		कीर्तिनगर	1471
		चम्बा	1715
		देवप्रयाग	1818
		भिलंगना	3376
		थौलधार	1431
		जौनपुर	2214
		प्रतापनगर	1821
		जाखडीधार	1643
		योग	17814
12-	ऊधम सिंह नगर	खटीमा	4535
		सितारगंज	4229
		रुद्रपुर	3180
		गदरपुर	2976
		बाजपुर	2913
		काशीपुर	2486
		जसपुर	2729
		योग	23048
13-	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	1652
		डुण्डा	1759
		चिन्धालीसौण	1616
		नौगाँव	2011
		पुरोला	853
		मोरी	1086
		योग:-	8977
		महायोग:-	195908

(रु० उ० करोड़ उ० सठ लाख आठ हजार मात्र)


(एल.एन.पन्त)

अपर सचिव, वित्त